"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 593] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 नवम्बर 2021 — अग्रहायण 4, शक 1943

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 23 नवम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक 5761/एफ–04–35/वि/2021/14–2.— विभाग के पत्र क्रमांक 6666/एफ–04–35/वि/2018/14–2 दिनांक 20–09–2018 द्वारा "छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड" के गठन की अधिसूचना जारी की गई है। (परिशिष्ट–1)उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में गठित बोर्ड हेतु नियम व शर्ते निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

(1) बोर्ड के उद्देश्यः–

साग–सब्जी, फल – फूल, औषधिय फसलों के उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि के व्यवसाय में जुड़े कृषकों की समस्याओं के निराकरण एवं सर्वांगीण विकास, वर्तमान व्यवस्था एवं संचालित योजनाओं में सुधार, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, उत्पादक समूह तैयार कर सीधी विपणन व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी एवं अन्य विषयों पर अध्ययन करते हुए प्रासंगिक सुझाव देना।

(2) बोर्ड की संरचना :–

विभाग के पत्र क्रमांक 6666/एफ–04–35/वि/2018/14–2 दिनांक 20–09–2018 द्वारा जारी अधिसूचना अनुसार बोर्ड के संचालक मंडल में अध्यक्ष एवं 05 सदस्य अशासकीय तथा शासकीय सदस्य होंगे। संचालक मंडल में आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले विषय वस्तु विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है।

(3) बोर्ड का मुख्यालयः–

बोर्ड का मुख्यालय रायपुर / नवा रायपुर में होगा।

(4) बोर्ड का कार्यकालः–

1. शाकम्भरी बोर्ड का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्ष होगा। तीन वर्ष की कार्यावधि के पश्चात् बोर्ड स्वमेव समाप्त माने जावेंगे।
2. राज्य शासन सार्वजनिक हित के दृष्टिगत बोर्ड को अधिक्रमित कर सकेगा।
3. बोर्ड के सभी सदस्य बोर्ड के अधिक्रमित होने की स्थिति में तत्काल अपने पद का त्याग करेंगे।
4. राज्य शासन को बोर्ड/ संचालक मंडल को भंग करने, उसमें नियुक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों को बदलने आदि का अधिकार होगा।

(5) बोर्ड के कार्य एवं दायित्वः–

1. राज्य में विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र की परिस्थितियों, उपलब्ध संसाधनों के दृष्टिगत साग–सब्जी, फल–फूल, औषधिय फसलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता वृद्धि, अनुसंधान कार्य एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने हेतु सुझाव एवं अनुसंशा देना।
2. साग–सब्जी, फल –फूल, औषधिय फसलों एवं कृषि के व्यवसाय में जुड़े कृषकों की समस्याओं के निराकरण , सर्वांगीण विकास एवं आजीविका वर्धन हेतु सुझाव देना।
3. साग–सब्जी, फल–फूल एवं औषधिय फसलों संबंधी उद्योग स्थापित करने हेतु सुझाव देना।
4. वर्तमान में संचालित योजनाओं में सुधार तथा नई योजना को प्रारंभ करने हेतु सुझाव देना।
5. प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, उत्पादक समूह गठन कर सीधी विपणन व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी के संबंध में सुझाव देना।
6. युवाओं को साग–सब्जी, फल–फूल एवं औषधिय फसल उत्पादन के व्यवसाय के प्रति आकर्षित करने प्रौद्योगिकी एवं विपणन के क्षेत्र में कौशल उन्नयन के उपायों पर अनुसंशा देना।
7. साग–सब्जी, फल–फूल एवं औषधिय फसलों की विषरहित खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, जीरो बजट खेती एवं जैविक प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव देना।
8. उद्यानिकी फसलों के बीमा से संबंधित योजनाओं को व्यापक बनाने, सरलीकरण एवं सुधार हेतु सुझाव देना।
9. स्थानीय मांग की पूर्ति के साथ–साथ उद्यानिकी एवं कृषि वानिकी व्यवसाय को निर्यातोन्मुखी बनाने के संबंध में सुझाव देना।
10. स्वप्रेरणा या अन्य प्रकार से किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।
11. संरक्षित खेती, प्रीसिजन फार्मिंग, उद्यानिकी यांत्रिकीकरण एवं सिंचाई संसाधन विकसित करने तथा अन्य विषयों पर अध्ययन करते हुए प्रासंगिक सुझाव देना।
12. कृषकों की आय वृद्धि के उद्देश्य से तैयार की गई शासन की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरूवा, घुरवा एवं बाड़ी के प्रोत्साहन तथा विशेष रूप से गोधन न्याय योजनांतर्गत उत्पादित सुपर वर्मी कंपोस्ट के प्रभावकारी उपयोग हेतु प्रोत्साहन के संबंध में सुझाव देना।
13. राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निर्देशित कार्यों का निर्वहन करना।

(6) बोर्ड की बैठकेः–

बोर्ड की वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित होगी। अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें आयोजित की जा सकेंगी।

(7) बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को देय सुविधायें :–

वित्त विभाग के प्रचलित नियम/ निर्देशों के अनुसार देय होगी।

(8) बजट, वित्त, लेखा एवं ऑडिटः–

1. राज्य शासन द्वारा बोर्ड के सदस्यों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते व अन्य सुविधाओं एवं बोर्ड के संचालन हेतु अनुदान संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के माध्यम से उपलब्ध कराया जावेगा। बोर्ड के आवश्यक व्ययों की प्रति–पूति के लिये आहरण–संवितरण का अधिकार संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को होगा।
2. बोर्ड द्वारा किसी सामान्य या विशेष अधिकार के तहत बोर्ड के समस्त कार्यकलापों का सुचारू रूप से निर्वहन के लिये जहां भी ठीक समझे अन्य स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त कर सकेगा।
3. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित प्रारूप एवं समयावधि में आगामी वित्तीय वर्ष के लिये अपना बजट संभावित प्राप्ति एवं व्ययों का आंकलन दर्शाते हुये तैयार करेगा तथा संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के माध्यम से स्वीकृति हेतु राज्य शासन की ओर अग्रेषित करेगा।
4. बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित समयावधि एवं निर्धारित स्वरूप के अनुसार अपना वार्षिक प्रतिवेदन विगत वर्ष के गतिविधियों का पूर्ण विवरण देते हुये तैयार करेगा तथा उसकी एक प्रति शासन को संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
5. बोर्ड की प्रकृति विकासात्मक होगी तथा हितग्राहियों के विकास एवं आर्थिक उन्नति के लिये होगी।

6. बोर्ड प्रतिवर्ष उपयुक्त ढंग से अपने अनुसंशाओं, बैठकों की कार्यवाही विवरण, पालन प्रतिवेदन, नियमों आदि का संधारण करेगा।

7. बोर्ड प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा प्रपत्र तैयार करेगा तथा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण करवायेगा।

8. प्रारंभिक अवस्था में बोर्ड के सफल संचालन हेतु वांछित धनराशि शासन द्वारा आकस्मिकता निधि से संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(9) विविध :–

1. बोर्ड के पुनर्गठन होने तक बोर्ड की सभी व नियंत्रित संपत्तियां राज्य शासन के अधीन रहेगी।

2. बोर्ड का पंजीयन उपरोक्तानुसार प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत अथवा जैसा संचालक मंडल चाहे अन्य अधिनियमों के अंतर्गत किया जा सकेगा।

3. बोर्ड इस संकल्प के पारित होने/छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से संकल्प अनुसार कार्य प्रारंभ कर देगा।

(10) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के कम्प्युटर क्रमांक 2021–14–00062 दिनांक 23–11–2021. द्वारा जारी अधिसूचना पर सहमति प्राप्त कर ली गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के.सी.पैकरा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.